

सेवा में,
जनसूचना अधिकारी
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान
कानपुर - 208017

विषय : जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पत्र में वर्णित सूचनायें उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अनुरोध है कि आर0टी0आई0 अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनायें उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

1. डॉ0 एस0बी0 नजीर किस पद से एवं किस ग्रेड-पे से सेवानिवृत्त हुये थे ?
2. डॉ0 एस0बी0 नजीर की किन-किन तिथियों में Review D.P.C. हुयी थी।
3. डॉ0 एस0बी0 नजीर को सेवानिवृत्त होने के पश्चात कौन सा ग्रेड पे दिया गया था ?
4. डा0 एस0बी0 नजीर की पहले एवं बाद में क्या पेन्शन फिक्स हुयी है ?
5. डॉ0 एस0बी0 नजीर का किस पद से सेवानिवृत्त पेन्शन भोगी परिचय पत्र पुनः बना ?

उपर्युक्त सभी बिन्दुओं के संदर्भ में प्रार्थी को छायाप्रतिलिपियाँ उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

संलग्नक -

1. भारतीय पोस्टल आर्डर 10 रुपये मूल्य का।
2. भारतीय पोस्टल आर्डर का क्रमांक सं0 44F 293103

श्री हरिग
सेवा
27/3/18
SA-0/APS0.

S. D. S. Mishra
27/3/18

कृपया संदर्भित सूचना दि. 06/4/18 तक उपलब्ध करवायें।

27/3/18
27/3/18

1235
27/03/18

OS (EST)
27-3-18

प्रार्थी

राम कृष्ण 16/03/18

शोध सहायक (कृषि रसायन)
चयन कोटि सेवानिवृत्त
म0नं0 एम-8 मुखर्जी विहार
द्वितीय तल इन्दिरा नगर
कानपुर - 208026

स्थापना अनुमान
संख्या - 493 -
दिनांक 27/03/2018

143

सं. 25(52)/2017-18/RTI

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

National Sugar Institute

ISO 9001:2015 प्रमाणित संस्थान

An ISO 9001:2015 Certified Institute

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,
Department of Food & Public Distribution

भारत सरकार

Government of India

फोन 2570541, 542

फैक्स 0512-2570247

कानपुर, दिनांक-11.4.2018

सेवा में,

श्री राम कृष्ण,
शोध सहायक (कृषि रसायन),
चयन कोटि सेवानिवृत्त,
म.नं. एम-8, मुखर्जी विहार,
द्वितीय तल, इंदिरानगर, कानपुर - 208 026

जारी

संख्या - 970 - - - - -

दिनांक 12-4-18.

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके पत्र दि. 16.3.2018 द्वारा चाही गई जानकारी के संदर्भ में सूचित करना है कि आपके द्वारा वांछित सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नियम 8(जे) के अंतर्गत प्रदान नहीं की जा सकती है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप दी गई उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में इस पत्र के जारी करने के 30 दिन के अंदर आप प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं-

श्री नरेन्द्र मोहन,

निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कानपुर - 208 017

भवदीय,

(जितेन्द्र सिंह)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

क्यामि पुनि

12/4/18